

## प्रेषक

अतर सिंह  
संयुक्त सचिव  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव  
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

## कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक ०५ सितम्बर, 2015

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/ले०-२(२५).श०निध०/2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2— आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि के उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित करते हुये राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क तत्काल प्रभाव से पुनः निर्धारित किया जाता है ।

(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव

संख्या-०३ / XXX(4) / 2015-03(3) / 2015, तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
- 2— प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड ।
- 3— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
- 4— सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
- 5— महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 6— सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार ।
- 7—  अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
- 8— सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 9— प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून / गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव